

एक परवािर, एक पहचान योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्रत्येक परविार को 'परविार पहचान-पत्र' जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा की और इसके त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिये।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रत्येक परिवार को सरकारी लाभ तथा कम-से-कम एक सदस्य को रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करने के लिये
परिवार पहचान-पत्र जारी किये जा रहे हैं।

मुख्य बदुि:

- "एक परिवार, एक पहचान" योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान-पत्र प्राप्त होता है, जिससे राज्य में परिवार इकाइयों का एक व्यापक लाइव डेटाबेस तैयार होता है
- यह डेटाबेस लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के प्रबंधन, समय पर लक्ष्य निर्धारण, पारदर्शी संचालन में सुधार करेगा और पहुँच को सरल बनाकर पात्र लोगों तक योजनाओं का 100% वितरण सुनिश्चित करेगा।
 - ॰ उत्तर प्रदेश में 3.60 करोड़ परविारों के लगभग 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियिम 2013 से लाभान्वति हो रहे हैं, जो अपने राशन कार्ड नंबर को अपने परविार पहचान-पत्र के रूप में उपयोग कर रहे हैं
 - राशन कार्ड विहीन 1 लाख से अधिक परिवारों को परिवार पहुँचान-पत्र जारी किये गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियिम (NFSA), 2013

- अधिसूचित: 10 सतिंबर, 2013
- उददेशय
 - ॰ इसका उद्देश्य एक गरमिापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें <mark>खाद्य और पोषण सुरक्षा</mark> प्रदान करना है।
- कवरेज
 - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।
 - ॰ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियिम (NFSA) <mark>समग्र तौर</mark> पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतशित हसि्से को कवर करता है।
- पात्रताः
 - ॰ राज्य सरकार के दिशा-नरि्देश<mark>ों के अनुसार</mark>, लक्षति सार्वजनकि वतिरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमकिता वाले घर ।
 - ॰ अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।
- प्रावधानः
 - ॰ **प्रतिमाह प्रति व्यक्ति ५ किलोग्राम खाद्यान्न,** जिसमें चावल ३ रुपए किलो, गेंहूँ २ रुपए किलो और मोटा अनाज १ रुपए किलो।
 - हालाँक अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रतिपरिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
 - ॰ **गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने** वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किंपे जाने का प्रावधान है।
 - 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
 - खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
 - ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

